लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/भंडार/सायकिल वितरण/2007/ 110 भोपाल, दिनांक 24.06.07

प्रति ,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः– बालिकाओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय करने के संबंध में वर्ष 2007–08।

---

1. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अपने गांव से दूसरे गांव स्थित शासकीय स्कूल में कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने वाली ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की निःशुल्क सायकिल उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार योजना का स्वरूप निम्नानुसार है:–

(1) यह योजना ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए है।

(2) अपने गांव से दूसरे गांव स्थित शासकीय स्कूल में कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को यह लाभ मिलेगा।

(3) सभी वर्ग की बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित होगी।

2. शासन द्वारा सायकिल खरीदी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सायकिल खरीदी पिछले वर्ष की तरह म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से की जायेगी।

3. पिछले वर्ष की तरह चेरी रेड कलर की इस लेडीज सायकिल में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार सामान्य सायकिल के अतिरिक्त निम्नलिखित सामाग्री होगी :–

1. सीट
2. फुल स्टैन्ड
3 फुल हाफ चैन कव्हर
4 ताला (लाक)
5. कैरियर
6. घंटी
7. बास्केट
8. ड्रेस गार्ड
9. रिफलेक्टर

पिछले वर्ष में 20 इंच ऊंचाई की सायकिल बालिकाओं को प्रदान की गई हैं। इस वर्ष भी इसी उंचाई की सायकिल प्रदान की जाएगी। लघु उद्योग निगम द्वारा 20 इंच सायकिल की इकाई दर निम्नानुसार सूचित की गई हैं :–

लेडी सायकिल 20 इंच रु. 1786/– + केन्द्रीय विक्रय कर/वैट अतिरिक्त

4. पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी <u>जिले में सायकिल क्रय आदेश जारी करने से सायकिल वितरण करने तक की जबावदारी कलेक्टरों को सौंपी गई है । कलेक्टर स्वविवेक से जिले के किसी अधिकारी को</u>

यह जिम्मेदारी सौंप सकेंगे। इस प्रकार लघु उद्योग निगम को क्रय आदेश कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।

5. पिछले वर्ष की तरह वर्ष 2007–08 में भी सभी वर्ग की बालिकाओं को सायकिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। गत वर्ष की लाभान्वित बालिकाओं की संख्या के आधार पर हितग्राही बालिकाओं की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट–1 में दी गई है। यह जानकारी अनुमानित है। अतः जैसे ही शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है, 31 जुलाई 2007 तक स्कूलवार हितग्राहियों की वास्तविक संख्या एकत्रित कर ली जाए।

6. पिछले वर्ष के अनुसार ही विकासखंडवार आवश्यक सायकिलों की संख्या के आधार पर जिले की सम्मिलित संख्या को कुल मानते हुए क्रय आदेश जारी किये जायेंगे। इस बीच हितग्राहियों की वास्तविक संख्या ज्ञात कर ली जाए और यदि अतिरिक्त सायकिलों की आवश्यकता है तो पूरक क्रय आदेश जारी किये जाए। यदि जिले में पिछले वर्ष की कुछ सायकिलें अवितरित हो तो उनकी संख्या को इस वर्ष की संख्या में कम करके आदेश जारी किये जाए।

7. इस वर्ष लघु उद्योग निगम से चर्चा कर निर्णय लिया गया है कि जिलों में चार समूहों में आपूर्ति की जाएगी। समूह ए में 15 अगस्त 2007 तक, समूह बी में 15 सितम्बर 2007 तक, समूह सी में 15 अक्टूबर 2007 तथा समूह डी में 30 अक्टूबर 2007 तक कसी हुई सायकिलों का प्रदाय किया जाएगा। अतः क्रय आदेश जारी करते समय सायकिल प्रदाय की समयसीमा तद्नुसार आदेश में अंकित की जाए। समूह में अंकित जिलों की सूची परिशिष्ट–2 में दी गई है।

8. क्रय आदेश में सायकिल के साथ अतिरिक्त आवश्यक सामग्री प्रदाय किये जाने का उल्लेख करना होगा। चेरी कलर की सायकिल प्रदाय करने का उल्लेख करना होगा। फैक्टरी स्तर पर प्रदाय की जाने वाली सायकिल की गुणवत्ता की जांच बाह्‌य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी। इसके लिए बाह्‌य एजेन्सी आर एण्ड डी सेन्टर फार बाइसिकल एण्ड सुइंग मशीन लुधियाना निर्धारित की गई है। अतः क्रय आदेश में इस एजेन्सी का जांच प्रमाण–पत्र सायकिल आपूर्ति के समय प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया जाए। सायकिल के फ्रेम में "म.प्र.शासन द्वारा प्रदत्त–2007" का उल्लेख किया जाना होगा। लघु उद्योग निगम को दिये जाने वाले क्रय आदेश का प्रारूप परिशिष्ट–3 अनुसार है। इसमें आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर संशोधन किया जा सकेगा। क्रय आदेश में सायकिल प्रदाय अवधि परिशिष्ट–2 में अंकित तिथि अनुसार रखी जाँए । निर्धारित समयावधि में आपूर्ति न किए जाने पर इस अवधि में छूट कलेक्टर द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

9. लघु उद्योग निगम द्वारा प्रदाय की जाने वाली सायकिल का नमूना (सेम्पल) विकासखंड मुख्यालय में प्रदाय किया जायेगा। विकासखंड मुख्यालय पर उपलब्ध नमूने की सायकिल के आधार पर प्रदाय की जाने वाली सायकिल का सत्यापन किया जायेगा। नमूने की सायकिल प्रदाय की जाने वाली सायकिल में समायोजित की जायेगी अर्थात नमूना सायकिल निःशुल्क नहीं होगी।

10. पिछले वर्ष के अनुभव तथा विद्यालयों के प्राचार्यो से चर्चा में यह पाया गया है कि 20" की सायकिल का क्रय आदेश सामान्य रूप से दिया जाये। इससे कम 18" की सायकिल की ऊंचाई छोटी होगी तथा यदि किसी बालिका की ऊंचाई अपेक्षा कृत अधिक है तो 20" की सायकिल की सीट को ऊंचा कर इसकी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है। अतः क्रय आदेश में 20" का समावेश किया जाय।

k/vir/doc I

11. सायकिल वितरण का कार्य विकासखंड मुख्यालय में किया जायेगा। लघु उद्योग निगम की ओर से सायकिल प्रदाय की तिथि की सूचना आपको दी जायेगी। तद्नुसार सायकिल वितरण का कार्यक्रम निर्धारित किया जाय और विकासखंड मुख्यालय में एक सादा समारोह आयोजित कर हितग्राही बालिकाओं को सायकिल वितरित की जाय।

12. विकासखंड मुख्यालय में सायकिल वितरण कि लिए आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये। संबंधित शालाओं के पालक शिक्षक संघ के अध्यक्षों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाये। मंत्रिपरिषद के किसी माननीय सदस्य का यदि निर्धारित तिथियों के समय भ्रमण कार्यक्रम नियत हो तो मान. मंत्री महोदय से भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुरोध किया जाये।

13. विकासखंड मुख्यालय में सायकिल वितरण के पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना होगी :—

(अ) विकासखंड मुख्यालय के अर्न्तगत जो भी शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री स्कूल हैं और जिनकी हितग्राही बालिकाएं लाभान्वित होगी उन स्कूलों को सायकिल वितरण की तिथि से अवगत कराया जाय।

(ब) विकासखंड मुख्यालय में एक स्थान (यह स्थान हाईस्कूल/हायर सेकन्ड्री स्कूल के अतिरिक्त भी हो सकता है) निर्धारित किया जाए जहां सायकिल प्रदाय एजेन्सी द्वारा प्रदाय की जाने वाली सायकिल भंडारित की जा सके।

(स) संबंधित भंडारण स्थल पर सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जाये।

(द) प्रदाय सायकिल में नमूने की सायकिल के अनुसार सामग्री है , उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई जाये इस समिति में निम्नानुसार सदस्य रखे जाएं :—

1. विकासखंड शिक्षा अधिकारी
2. मंडल संयोजक ,आदिम जाति कल्याण विभाग
3. विकासखंड मुख्यालय स्थित किसी शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री स्कूल का प्राचार्य

(इ) इस समिति द्वारा जांच किये जाने के उपरान्त ही सायकिल प्रदाय की जाय। इस समिति के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से सायकिल प्राप्त होने की पावती संलग्न परिशिष्ट–4 अनुसार एजेन्सी को दी जायेगी।

(फ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को इस कार्य के लिए विकासखंड स्तर का नोडल अधिकारी बनाया जाये। कलेक्टर स्थानीय परिस्थित को देखते हुए किसी दूसरे अधिकारी को भी यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।

14. संबंधित हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री स्कूल के प्राचार्य द्वारा संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट–5 अनुसार छात्राओं से सायकिल पावती की रसीद प्राप्त की जाएगीं। यह रसीद दो प्रतियों में होगी। रसीद की एक प्रति स्कूल में रखी जाएगी। एक प्रति क्रय आदेश जारी करने वाले अधिकारी को दी जाएगी। यह रसीद विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी। इस रसीद के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

15. सायकिल वितरण की इस पूरी व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक होगा कि जिला स्तर पर एक मॉनीटरिंग समिति गठित की जाये। समिति की संरचना पिछले वर्ष के अनुसार निम्नानुसार होगी :–

1.	कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला पंचायत	–	सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
4.	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास	–	सदस्य
5.	महा प्रबंधक ,जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य

कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी यथा जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विभाग समिति का सदस्य सचिव होगा। यह अधिकारी जिले में योजना क्रियान्वयन का नोडल अधिकारी होगा।

16. पिछले वर्ष की तरह सायकिल खरीदी का भुगतान वल्लभ भवन भोपाल स्थित कोषालय में लघु उद्योग निगम के स्थाई निधि खाता "स्थानीय निधि मुख्य शीर्ष 8448 स्थानीय निधि निक्षेप 120 अन्य निधियॉं" के माध्यम से किया जाएगा। इस खाते में हितग्राहियों की संख्या के अनुपात में राशि आयुक्त लोक शिक्षण, द्वारा जमा की जायेगी। इस प्रकार प्रदाय एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत बिल पर सायकिल प्राप्त होने के क्रय आदेश जारी करने वाले अधिकारी के प्रमाणीकरण के बाद मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को बिल का भुगतान वल्लभ भवन भोपाल स्थित कोषालय में निगम के स्थानीय निधि खाते के माध्यम से किया जायेगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत जिला स्तर पर सायकिल प्रदाय एजेन्सी को भुगतान करने की जिम्मेदारी नहीं रहेगी । केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रय आदेश के अनुसार प्राप्त सायकिलों का वितरण हो और प्रदाय एजेन्सी द्वारा प्राप्त बिल सत्यापित होने के उपरान्त लघु उद्योग निगम को समय पर प्राप्त हो जाये।

17. बिल प्रमाणीकरण के उपरान्त भुगतान के लिए लघु उद्योग निगम को भेजने के साथ–साथ आयुक्त लोक शिक्षण को यह सूचित किया जायेगा कि आपके द्वारा जितनी सायकिलों के बिल का भुगतान करने के लिए लघु उद्योग निगम को अग्रेषित किया गया है उसमें से कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्ग की हितग्राही बालिकाएं हैं। यह जानकारी संलग्न परिशिष्ट–6 में भेजी जाएगी।

18. सायकिल प्रदाय एजेंसी द्वारा जिलों में सायकिल प्रदाय की जाने के बाद परिशिष्ट–4 अनुसार सायकिल प्राप्ति की रसीद के आधार पर लघु उद्योग निगम द्वारा 90 प्रतिशत भुगतान एजेंसी को किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत भुगतान जिले में सायकिल वितरण उपरांत एजेंसी के द्वारा प्रमाणित देयक प्रस्तुत करने के उपरांत किया जाएगा।

19. उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश जिला स्तर से जारी किये जायें और यह सुनिश्चित किया जाये कि सायकिल वितरण की व्यवस्था एवं एजेन्सी को भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाये।

20. सायकिल वितरण कार्यक्रम की मॉनीटरिंग के लिए पर्ट–चार्ट (परिशिष्ट–7) तैयार किया गया है। इसके अनुसार योजना क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग की जाए।

21. इस वर्ष शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निर्धारित समय सारिणी अनुसार यदि संबंधित एजेंसी द्वारा सायकिल आपूर्ति नहीं की जाती है तो लघु उद्योग निगम द्वारा संबंधित एजेंसी से विलंब के लिए शर्त अनुसार देयक में से कटौती की जाएगी। इसके लिए निगम ने यह शर्त रखी है कि देयक प्राप्त होने पर 21 दिन के अंदर उसका प्रमाणीकरण कर देयक निगम को उपलब्ध करा दिए जाए। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि देयक प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर उसका प्रमाणीकरण कर निगम को प्राप्त हो जाए। निर्धारित समय सारिणी अनुसार सायकिल उपलब्ध न कराए जाने पर इसकी सूचना लघु उद्योग निगम को दी जाए।

संलग्न–सात परिशिष्ट

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/भंडार/सायकिल वितरण/2007/ भोपाल, दिनांक 24.06.07

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफीसर, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
5. आयुक्त, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश ।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, पंचानन भवन, भोपाल ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
9. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश ।
11. समस्त महाप्रबंधक ,जिला उद्योग केन्द्र म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

बालिकाओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना वर्ष 2007–08		
क्र.	जिले का नाम	संख्या
1	2	4
1	श्योपुर	561
2	मुरैना	2670
3	भिण्ड	4132
4	ग्वालियर	1026
5	शिवपुरी	1754
6	गुना	498
7	दतिया	986
8	अशोकनगर	535
9	देवास	865
10	रतलाम	700
11	शाजापुर	974
12	मंदसौर	1483
13	नीमच	672
14	उज्जैन	700
15	इंदौर	992
16	धार	1409
17	झाबुआ	1500
18	खरगोन	2192
19	बड़वानी	1368
20	खंडवा	950
21	बुरहानपुर	473
22	भोपाल	596
23	सीहोर	1379
24	रायसेन	2286
25	राजगढ़	1829
26	विदिशा	946
27	बैतूल	2840
28	होशंगाबाद	1662
29	हरदा	320
30	सागर	2947
31	दमोह	2135
32	पन्ना	1254
33	छतरपुर	1570
34	टीकमगढ़	1357
35	जबलपुर	3247
36	कटनी	2631
37	नरसिंहपुर	1949
38	छिंदवाड़ा	4434
39	सिवनी	3686
40	मण्डला	2487
41	डिण्डोरी	1180
42	बालाघाट	5489
43	रीवा	4129
44	शहडोल	2117
45	उमरिया	1106
46	सीधी	5479
47	सतना	3637
48	अनूपपुर	892
	योग	90024

सायकिल वितरण हेतु जिलों के समूह वर्ष 2007–08

परिशिष्ट–2

समूह ए (सायकिल प्रदाय की तिथि 15.08.07 तक)	
1	देवास
2	रतलाम
3	शाजापुर
4	मंदसौर
5	नीमच
6	उज्जैन
7	इंदौर
8	धार
9	झाबुआ
10	खरगोन
11	बडवानी
12	खंडवा
13	बुरहानपुर
14	हरदा

समूह बी (सायकिल प्रदाय की तिथि 15.09.07 तक)	
1	जबलपुर
2	कटनी
3	नरसिंहपुर
4	छिंदवाडा
5	सिवनी
6	मंडला
7	डिंडौरी
8	बालाघाट
9	शहडोल
10	अनूपपुर
11	उमरिया

समूह सी (सायकिल प्रदाय की तिथि 15.10.07 तक)	
1	भोपाल
2	सीहोर
3	रायसेन
4	राजगढ
5	विदिशा
6	बैतूल
7	सागर
8	दमोह
9	पन्ना
10	छतरपुर
11	टीकमगढ
12	रीवा
13	सीधी
14	सतना

समूह डी (सायकिल प्रदाय की तिथि 30.10.07 तक)	
1	श्योपुर
2	मुरैना
3	भिण्ड
4	ग्वालियर
5	शिवपुरी
6	गुना
7	अशोकनगर
8	दतिया
9	होशंगाबाद

परिशिष्ट–3

कार्यालय कलेक्टर/नामांकित अधिकारी

जिला .... म.प्र.

क्रमांक/ दिनांक

प्रति ,

महाप्रबंधक (विप)
म.प्र. लघु उद्योग निगम,
भोपाल

विषयः– लेडीज बाईसिकल के क्रय हेतु क्रयादेश।

—0—

स्कूल की बालिकाओं के लिए निम्नलिखित सामग्री शीघ्र प्रदाय करने की व्यवस्था करें :–

सामग्री का नाम	साइज	मात्रा	दर (प्रति नग)
लेडीज बाईसिकल मय बास्केट, ड्रेसगार्ड , फुल हाफ चेन कव्हर ,फुल स्टैण्ड ,घंटी , रिफलेक्टर ,सीट ,कैरियर ,फ्रेम लॉक आदि	20"		रू. 1786/– + केन्द्रीय विक्रय कर/वैट अतिरिक्त (रूपये एक हजार सात सौ छियासी) + केन्द्रीय विक्रय कर/वैट अतिरिक्त

प्रदाय के नियम एवं शर्ते :–

1. सभी बाईसिकल्स चेरी कलर की प्रदाय की जावे।
2. सभी बाईसिकल्स की गुणवत्ता लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अनुमोदित वाह्य एजेन्सी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और इसका प्रमाण–पत्र सायकिल प्रदाय करते समय प्रस्तुत किया जाना होगा। सायकिल आपूर्ति के देयक के साथ इस प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सायकिल की गुणवत्ता की जांच के लिए वाह्य एजेन्सी आर.एण्ड.डी.सेन्टर फार बाईसिकल एवं सुंइग मशीन लुधियाना अनुमोदित की गई है।
3. सभी बाईसिकल संलग्न सूची में दर्शाई विकासखंडवार संख्या के अनुसार जिले के विकासखंड मुख्यालय में प्रदाय की जावे।
4.* प्रदाय अवधि–कसी हुई सायकिलें दिनांक .... तकप्रदान की जाए। प्रदाय अवधि में वृद्धि नहीं की जायेगी।
5. बाईसिकल पर आगे एवं पीछे मेटल लोगो तथा फ्रेम पर "म.प्र.शासन द्वारा प्रदत्त 2007 " का उल्लेख होना चाहिए।

* परिशिष्ट–2 अनुसार जिला समूह में अंकित तिथि दी जाए।

6. प्रदायित बाईसिकल की गांरटी /वारंटी एक वर्ष की होनी चाहिए।

7. बाईसिकल का एक ''मास्टर सेम्पल'' प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय में प्रदाय करना होगा। मास्टर सेम्पल आदेशित बाईसिकल में से ही होगा। प्रदायित बाईसिकलों का ''मास्टर सेम्पल'' से मिलान कर सामग्री वितरित कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

8. इस आदेश के साथ हस्ताक्षरित डी फार्म संलग्न है। केन्द्रीय विक्रय कर की पुष्टि की जिम्मेदारी लघु उद्योग निगम की होगी।

9. सायकिल प्रदाय के पश्चात बिल ,पावती तथा वाह्य एजेंसी के प्रमाणपत्र की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

10. आदेश के अनुसार सायकिल प्रदाय होने के बाद बिल का भुगतान किया जायेगा। सायकिल प्रदाय एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत बिल में दर्शित सायकिलों की संख्या की आपूर्ति की पुष्टि कर बिल का सत्यापन इस कार्यालय के अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा कर इसका भुगतान बल्लभभवन भोपाल स्थित कोषालय के लघु उद्योग निगम के स्थायी खाता से किया जायेगा। यह भुगतान प्राप्त करने के लिए आपको सत्यापित बिल प्रेषित किया जायेगा।

कलेक्टर/नामांकित अधिकारी

जिला ....

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

विकासखण्ड ....जिला ....

<u>सायकिल प्राप्ति की रसीद</u>

सायकिल प्रदाय एजेंसी से विकासखंड मुख्यालय में उपलब्ध नमूने अनुसार .... संख्या कसी हुई सायकिलें वितरण के लिए प्राप्त हुई।

मण्डल संयोजक, नामांकित प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी

परिशिष्ट–5

सायकिल प्रदाय योजना के तहत वितरित सायकिलों की पावती

शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेन्डी स्कूल का नाम ....

विकासखंड..जिला..

क्रमांक	हितग्राही बालिका नाम	पिता का नाम	कक्षा	जाति (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य वर्ग)	बालिका के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य

प्रति हस्ताक्षर

विकासखंड शिक्षा अधिकारी

परिशिष्ट–6

कार्यालय कलेक्टर/नामांकित अधिकारी

जिला .... म.प्र.

क्रमांक/ ,दिनांक

प्रति ,

आयुक्त लोक शिक्षण ,
मध्यप्रदेश

विषयः– सायकिल प्रदाय योजना की जानकारी।

सायकिल प्रदाय योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को सायकिल वितरण की कार्यवाही की गई। संबंधित एजेन्सी से प्राप्त देयक लघु उद्योग निगम को वल्लभभवन भोपाल स्थित कोषालय के निगम के खाते से भुगतान के लिए अग्रेषित कर दिया गया है। हितग्राही बालिकाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

1. अनुसूचित जाति —
2. अनुसूचित जनजाति —
3. अन्य वर्ग —

कुल —

कलेक्टर/नामांकित अधिकारी
जिला ....

सायकिल प्रदाय योजना – पर्ट–चार्ट

1.	लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कलेक्टरों को निर्देश जारी किया जाना	–	24 जून 2007
2.	जिला स्तरीय समिति की बैठक	–	30 जून 2007
3.	जिला नोडल अधिकारी का नामांकन	–	30 जून 2007
4.	जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा क्रय आदेश जारी किया जाना	–	02 जुलाई 2007
5.	विकासखंड मुख्यालय में सायकिल वितरण समारोह का स्थल का चयन करना	–	14 जुलाई 2007
6.	विकासखंड स्तर पर गठित समिति तथा हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री स्कूल के प्राचार्यो की बैठक	–	16 जुलाई 2007
7.	सभी स्कूलों में पालक शिक्षक संघ के अध्यक्षों को स्कूल प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा सायकिल वितरण तिथि सूचित किया जाना	–	निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व
8.	सायकिल प्रदाय एजेंसी को सायकिल प्राप्ति की रसीद दी जाना (परिशिष्ट–4 अनुसार)	–	सायकिल प्रदाय की तिथि को
9.	सायकिल वितरण	–	निर्धारित तिथि अनुसार
10.	क्रय आदेश जारी करने वाले अधिकारी को सायकिल वितरण की पावती रसीद दी जाना (परिशिष्ट–5 अनुसार)	–	सायकिल वितरण की तिथि के दूसरे दिन
11.	क्रय आदेश जारी करने वाले अधिकारी द्वारा बिल भुगतान के लिए लघु उद्योग निगम को भेजा जाना	–	बिल प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर